

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(316) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई-जी/अभि./तक. अनु. समिति/2017-18 जयपुर, दि. 14 मार्च, 2018

—:: बैठक कार्यवाही विवरण ::—

विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 08.03.2018 की बैठक में मुख्यालय स्तर के अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद् जयपुर विभागीय समिति कक्ष में तथा अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) सभी संभागीय जिला परिषद् व टोंक जिले के अधिशाषी अभियंता (अभि), जिला परिषद्, द्वारा वी.सी. के माध्यम से बैठक में भाग लिया गया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के आमन्त्रित प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं रहे, जिससे ग्रेवल सड़क के क्षरण बाबत विशेष तकनीकी बिन्दुओं पर उनकी राय सम्मिलित नहीं हो सकी।

बैठक में एजेण्डावार बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1 :-

“महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित होने वाली ग्रेवल सड़कों में प्रतिवर्ष होने वाले सम्भावित क्षरण बाबत जारी किये गये पत्र दिनांक 03.11.2011/10.02.2012/13.04.2017 के सम्बन्ध में चर्चा” :-

बैठक में उपस्थित अभियंतागण एवं वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले अभियंताओं को ग्रेवल सड़क के क्षरण के संबंध में प्रावधान व विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

IRC Special Publication 20 published in (1997) के बिन्दु संख्या 12.3.2 Maintenance 12.3.2 "Gravel roads tends to lose surfacing material under action of traffic. The losses may be of the order of 25mm thickness of material per year for the volume of traffic envisaged for such roads in this Manual. The loss should be replenished as soon as the deficiency is noted since early attention is always beneficial. The entire surface may have to be re graveled once in 2-5 years depending on traffic, rainfall condition, type of material etc. उक्त प्रावधान के अनुसार सड़क पर ट्रेफिक का भार, वर्षा की स्थिति एवं उपयोग में ली गई सामग्री के आधार पर अधिकतम 25 एमएम प्रति वर्ष का क्षरण अनुमत योग्य है। इसके अलावा IRC के आगामी संस्करणों में ग्रेवल सड़क के क्षरण के संबंध में अन्य कोई स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के आमन्त्रित प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं रहे हैं। राज्य में अधिकांश सड़क निर्माण के कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही सम्पादित किये जाते हैं। अतः उक्त सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से तकनीकी राय के उपरान्त ही अन्तिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में वर्ष 2011 में विभागीय योजनाओं के अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के कार्यों के क्षरण बाबत अति० मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि के पत्र दि 03.11.2011 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये:-

साधारण परिस्थितियों में यातायात, वर्षा तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर 5 से 10 प्रतिशत कुटी हुई मोटाई तक का प्रति वर्ष क्षरण हो सकता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत निर्मित ग्रेवल सड़कों के स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संबंधित अधिशाषी अभियंता द्वारा आंकलन कर अधिकतम 10 प्रतिशत कुटी हुई ग्रेवल सड़क की मोटाई तक का क्षरण अनुमत किया जा सकता है, जो कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से देय है।

उक्त पत्र दिनांक 03.11.2011 के अतिक्रमण में जारी अति० मुख्य सचिव, ईजीएस ग्रावि एवं पं.रा.वि के पत्र क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि/नरेगा/तक. प्रक./पार्ट-11/2010, दिनांक 10.02.2012 के द्वारा क्षरण बाबत निम्न मुख्य निर्देश जारी किये गये :-

बिन्दु संख्या -1 एम.बी में दर्ज माप के अनुसार ग्रेवल सड़क में कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई (Compacted Thickness) में प्रतिवर्ष क्षरण अधिकतम 1.0 सेमी अनुमत किया जा सकता है। यह 1.0 सेमी क्षरण उन्हीं ग्रेवल सड़कों में अनुमत किया जावे, जिनमें कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई 15 सेमी हो।

बिन्दु संख्या -2 यदि कुटी हुई ग्रेवल सड़क की मोटाई 15 सेमी से कम एवं 10 सेमी से अधिक है तो क्षरण अधिकतम 1.0 सेमी मानते हुए उसी अनुपात में कम करते हुए गणना की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि कुटी हुई सड़क की मोटाई 10 सेमी है तो क्षरण प्रतिवर्ष 0.70 सेमी अनुमत किया जा सकता है।

बिन्दु संख्या-3 यदि कुटी हुई ग्रेवल सड़क की मोटाई 10 सेमी से कम है तो उक्त सड़क निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का क्षरण अनुमत नहीं किया जावे।

बिन्दु संख्या-4 क्षरण की गणना ग्रेवल सड़क कार्य के पूर्ण होने की तिथि से की जावेगी। यदि पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है तो इस प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य पूर्ण होने की तिथि को कार्य पूर्ण होने की तिथि माना जावे।

इसी क्रम में अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंरावि के स्थाई आदेश दिनांक 31/2017 दिनांक 13.4.17 द्वारा पूर्व में ही जारी आदेश दिनांक 10.2.2012 को निरस्त कर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र की पालना में ग्रेवल सडकों के नियतकालीन मरम्मत निम्न निर्देश जारी किये गये :-

ग्रेवल सडक कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के 1 वर्ष पश्चात ही आवश्यकता होने पर मरम्मत कराई जा सकेगी। इसके उपरान्त पहले वर्ष में 5 प्रतिशत एवं दूसरे एवं आगामी वर्षों हेतु प्रति वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत ग्रेवल सामग्री का उपयोग करते हुये ग्रेवल सडकों का रखरखाव किया जा सकेगा।

उक्तानुसार वस्तुस्थिति /जारी विभागीय निर्देशों के क्रम में बैठक में विस्तृत चर्चा के क्रम में स्पष्ट है कि विभाग में वर्तमान में ग्रेवल सडकों के क्षरण के संबंध में कोई प्रावधान प्रभावी नहीं है।

निर्णय :-

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्र दिनांक 03.03.2011 एवं इसी क्रम में जारी पत्र दिनांक 10.02.2012 के द्वारा जारी ग्रेवल सडकों की क्षरण बाबत निर्देश दिनांक 13.04.2017 तक प्रभावी रहे हैं। दिनांक 03.03.2011 से पूर्व में एवं दिनांक 13.04.2017 से विभाग में कोई निर्देश प्रभावी नहीं है। इसी क्रम में ग्रेवल सडकों का क्षरण, सडक निर्माण में उपयोग में ली गई सामग्री, ट्रेफिक का भार, वर्षा की स्थिति इत्यादि प्रमुख कारणों से हो सकता है, जिसका स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर ही आंकलन हो सकता है, अतः ग्रेवल सडकों के क्षरण के संबंध में कोई स्पष्ट आधार नहीं होने से क्षरण की एक-समान मात्रा अर्थात् प्रतिवर्ष क्षरण की कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

IRC Special Publication 20 published in (1997) के बिन्दु संख्या 12.3.2 Maintenance 12.3.2 में वर्णित परिस्थितियों यथा सडक निर्माण में उपयोग में ली गई सामग्री, ट्रेफिक का भार, वर्षा की स्थिति इत्यादि के आधार पर ग्रेवल सडकों के क्षरण की सीमा 25MM प्रतिवर्ष निर्धारित है। इसके उपरान्त IRC 20 के वर्ष 2002 में जारी संस्करण में ग्रेवल सडकों के क्षरण के सम्बन्ध में कोई अध्याय सम्मिलित नहीं है, जिसके अनुसार यह प्रावधान लागू होगा या नहीं होगा स्पष्ट नहीं होता। अतः उक्त सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरू के पत्र दि 06.07.2010 द्वारा IRC के अनुसार प्रतिवर्ष 25mm की मोटाई का ग्रेवल में क्षरण अनुमत करने बाबत राय के क्रम में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी राय के अनुसार ही अन्तिम निर्णय लिया जावे।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 2 :-

“ग्राम पंचायत कीकासर पं0स0 सरदारशहर जिला चूरू में ग्रेवल सडकों के क्षरण की गणना (उक्त सडकों की जांच 05.04.2010 से 10.04.2010 के मध्य की गई है) से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा” :-

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत “ग्राम पंचायत कीकासर पं0स0 सरदारशहर जिला चूरू के द्वारा प्राप्त संलग्न एजेण्डा नोट/सारणी अनुसार वर्ष 2009 में निर्मित कराई गई 11 ग्रेवल सडकों की 05.04.2010 से 10.04.2010 के मध्य की जांच के क्रम में ग्रेवल की मात्रा में अन्तर की गणना हेतु क्षरण की मात्रा एवं वसूली के सम्बन्ध में कार्यवार चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरू के पत्र दि 06.07.2010 द्वारा ग्रेवल की बिना कुटी हुई मात्रा एवं कुटी हुई ग्रेवल की मात्रा को 4/3 अनुपात में अनुमत करने एवं IRC के अनुसार प्रतिवर्ष 25mm की मोटाई का ग्रेवल में क्षरण का उल्लेखित किया है। इस क्रम में संलग्न सारणी के कॉलम संख्या 12 में Loose Qty मात्रा की गणना कॉलम संख्या 4 में वर्णित मापी गई मात्रा को बिना कुटी मात्रा हेतु 4/3 अनुपात में अनुमत किया है। वर्तमान में प्रभावी ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के परि. -2 “निर्माण कार्यों के मापने की विधि (Mode of Measurement)” के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार शून्यवाद काटने के उपरान्त ही सामग्री आपूर्ति का प्रावधान वर्णित है, अर्थात् ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के आपूर्ति सामग्री में शून्यवाद काटकर शुद्ध सामग्री अनुमत होगी। उक्त सारणी अनुसार जांच टीम द्वारा मापी गई मात्रा एवं माप पुस्तिका में दर्ज मात्रा की गणना कुटी हुई मोटाई के आधार पर ही की गई है, लेकिन अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरू के पत्र दि 06.07.2010 के आधार पर जांच के दौरान मापी गई मात्रा में पृथक से कॉलम संख्या 12 अनुसार 4/3 अनुपातिक मात्रा अनुमत की गई है। जांच टीम द्वारा मापी गई मात्रा एवं माप पुस्तिका में दर्ज मात्रा की गणना भी कुटी हुई मोटाई के आधार पर है। इस क्रम में ग्रेवल की मात्रा हेतु 4/3 अनुपातिक मात्रा अनुमत करने बाबत अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरू की तकनीकी राय के क्रम में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी राय के अनुसार ही अन्तिम निर्णय लिया जावे।

इसी क्रम में ग्रेवल सडकों के सम्भावित क्षरण से सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दु संख्या 1 पर विस्तृत चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय अनुसार ग्रेवल सडकों के क्षरण के संबंध में विभाग में अब कोई निर्देश प्रभावी नहीं है। उल्लेखनीय है कि जांच में उल्लेखित कार्य वर्ष 2009 में सम्पादित कराये गये है। तत्समय एवं दि 13.04.2017 से वर्तमान में ग्रेवल सडकों के क्षरण के सम्बन्ध में कोई विभागीय निर्देश प्रभावी नहीं है। उक्त सम्बन्ध में एजेण्डा

बिन्दु संख्या 1 पर विस्तृत चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय अनुसार ग्रेवल सडकों के क्षरण की मात्रा का वास्तविक आंकलन किया जाना संभव नहीं है, लेकिन अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरु के पत्र दि 06.07.2010 द्वारा IRC के अनुसार प्रतिवर्ष 25mm की मोटाई का ग्रेवल में क्षरण अनुमत करने बाबत राय के क्रम में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी राय के अनुसार ही अन्तिम निर्णय लिया जावे।

यदि फिर भी ग्राम पंचायत कीकासर पं0स0 सरदारशहर जिला चूरु की 05.04.2010 से 10.04.2010 के मध्य की गई जांच में वर्णित 11 ग्रेवल सडकों कार्यों हेतु ग्रेवल सडकों के क्षरण की गणना हेतु निम्नानुसार अनुमानित अधिकतम मात्रा का आंकलन किया जा सकता है :-

IRC Special Publication 20 published in (1997) के बिन्दु संख्या 12.3.2 Maintenance 12.3.2 के अनुसार एवं अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरु के पत्र दि 06.07.2010 अनुसार सडक पर ट्रेफिक का भार, वर्षा की स्थिति एवं उपयोग में ली गई सामग्री के आधार पर अधिकतम सीमा 25 एमएम प्रति वर्ष का क्षरण उल्लेखित है।

वर्तमान में ग्रेवल सडकों के "नियतकालीन मरम्मत" हेतु प्रभावी विभागीय निर्देश दि 13.4.2017 के अनुसार "पहले वर्ष में 5 प्रतिशत एवं दूसरे एवं आगामी वर्षों हेतु प्रति वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत" सडक मरम्मत हेतु ग्रेवल सामग्री का उपयोग अनुमत है। वर्तमान परिस्थितियों में ग्रेवल सडक के क्षरण का वास्तविक आंकलन किया जाना संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से विभागीय निर्देश दिनांक 13.4.2017 द्वारा अनुमत "पहले वर्ष में 5 प्रतिशत एवं दूसरे एवं आगामी वर्षों हेतु प्रति वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत" ग्रेवल सामग्री को क्षरण के बराबर, लेकिन सडक पर ट्रेफिक का भार, वर्षा की स्थिति एवं उपयोग में ली गई सामग्री के आधार पर अधिकतम मात्रा 25MM तक भी अनुमत किया जा सकता है।

निर्णय :-


(अ) जांच के दौरान मापी गई मात्रा में बिना कुटी ग्रेवल हेतु 4/3 अनुपातिक मात्रा अनुमत करने बाबत अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरु की तकनीकी राय के क्रम में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी राय के अनुसार ही अन्तिम निर्णय लिया जावे।

(ब) पूर्व में जारी पत्र दिनांक 10.02.2012 के अतिक्रमण में जारी ग्रेवल सडक विभागीय नियतकालीन अनुमत मरम्मत के स्थाई आदेश संख्या 31/2017 दिनांक 13.4.2017 के अनुसार "पहले वर्ष में 5 प्रतिशत एवं दूसरे एवं आगामी वर्षों हेतु प्रति वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत ग्रेवल सामग्री" के निर्देश ही प्रभावी है। अतः उक्त स्थाई आदेश की पालना में उक्त विचाराधीन ग्रेवल सडकों के कार्यों में क्षरण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

यदि फिर भी क्षरण की गणना की आवश्यकता है तो ऐजेण्डा बिन्दु संख्या 1 अनुसार अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरु के पत्र दि 06.07.2010 द्वारा IRC के अनुसार प्रतिवर्ष 25mm की मोटाई का ग्रेवल में क्षरण (कार्यवार विवरण सारणी 2 में संलग्न) अनुमत करने अथवा विभागीय आदेश दि 13.04.2017 के आधार पर मरम्मत हेतु अनुमत ग्रेवल सामग्री की मात्रा को ही आधार मानकर अप्रत्यक्ष रूप से जांच में वर्णित ग्रेवल सडकों के संभावित क्षरण के संबंध में कार्य पूर्ण होने की दिनांक से अनुपातिक समयावधि के लिए, 150MM कुटी हुई मोटाई की सडक हेतु प्रथम वर्ष में अधिकतम सीमा 5% (7.5MM) तक एवं दूसरी व आगामी वर्षों में अधिकतम 10% (15MM) मोटाई का क्षरण प्रतिवर्ष मानकर ही आंकलन (कार्यवार विवरण सारणी 3 में संलग्न) किया जा सकता है।


अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेंगा।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
- 5 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
- 7 अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), महात्मा गांधी नरेंगा।
- 8 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महात्मा गांधी नरेंगा/पंचायती राज विभाग।
- 9 श्री अरविन्द संक्सेना, अधिशासी अभियन्ता, ईजीएस।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (एसएस), जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
- 12 अधिशासी अभियन्ता (अभि./ईजीएस) जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
- 13 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

वीसी के माध्यम से तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 08.03.2018 में उपस्थित संभागियों का विवरण :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री के. के. शर्मा	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास
2.	श्री अरुण सुराना	अधीक्षण अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा
3.	श्री मुकेश माहेश्वरी	अधीक्षण अभियंता, पंचायतीराज विभाग
4.	श्री के. एल. बैरवा	अधीक्षण अभियन्ता (एसएस), जल संसाधन विभाग
5.	श्री अरविन्द सक्सेना	अधिशषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा
6.	श्री विजय प्रकाश जालुका	अधिशषी अभियंता (अभि.), जयपुर
7.	श्री लोकेश पूनिया	परियोजना अधिकारी (अभि.), ग्रामीण विकास
8.	श्री सुनील जैन	अधिशषी अभियंता (अभि.), अजमेर (वीसी के माध्यम से)
9.	श्री मुकेश अग्रवाल	अधिशषी अभियंता (अभि.), भरतपुर (वीसी के माध्यम से)
10.	श्रीमती संगीता सौलंकी	अधिशषी अभियंता (अभि.), बीकानेर(वीसी के माध्यम से)
11.	श्री पी. पी. सिंह	अधिशषी अभियंता (अभि.), जोधपुर (वीसी के माध्यम से)
12.	श्री लोकेश दाधीच	अधिशषी अभियंता (अभि.), कोटा (वीसी के माध्यम से)
13.	श्रीमती प्रज्ञा सक्सेना	अधिशषी अभियंता (अभि.), उदयपुर(वीसी के माध्यम से)
14.	श्री राजेश बंसल	अधिशषी अभियंता (अभि.), टोंक (वीसी के माध्यम से)

Table No. 1

Details of Quantity & Diff. amount as per enquiry report

LIST OF ROAD WORK DONE IN KIKASAR GP OF SARDARSAHAR PANCHAYAT SAMITI OF CHURU DISTRICT CHURU

SR. NO.	NAME OF ROAD	UNIQUE CODE	AS PER MB		AS PER MEASURED BY ENQ. TEAM (as per agenda note)		Diffrance in Qty	RECOVERABLE QTY	Rate Allowed as per tabel on page no 619 of concerned file	Diff. AMOUNT based on allowed rate@ as per file (record)	Details as per tabel on page no 619 of concerned file (inculded voids qty @ 4/3)	
			LENGTH	QTY OF GRAVEL SUPPLY	LENGTH	QNT MEASURED					Diff. QTY as per	Amount Diff.
1	SARDARSAHAR TO DODWANA JOHAR	.4/4494	3900	2193.75	3557	1662.93	530.82	530.82	546.70	290199.29	666.93	364610.63
2	SARDARSAHAR TO KIKASAR	.4/4496	3500	1968.75	2975	1468.12	500.63	500.63	546.70	273694.42	572.69	313089.62
3	KAWALANSAR TO KIKASAR	.4/4557	3500	1968.75	2995	1223.72	745.03	745.03	539.20	401720.18	831.10	448129.12
4	DHIRASAR TO KARNISAR ROHI	.4/4610	3500	1968.75	3000	1258.03	710.72	710.72	539.20	383220.22	817.50	440796.00
5	KAWALANSAR TO KAWALANSAR	.4/4519	3500	1968.75	3500	1285.72	683.03	683.03	539.20	368289.78	971.25	523698.00
6	KAWALANSAR TO DHIRASAR	.4/4520	3600	2025	3691	1362.87	662.13	662.13	539.20	357020.50	945.00	509544.00
7	KAWALANSAR TO DHIRASAR	.4/4558	3550	2005.31	3565	1547.34	457.97	457.97	539.20	246937.42	802.59	432756.53
8	KAWALANSAR TO GARAB DESAR	.4/2622	3300	1856.25	3350	1314.38	541.87	541.87	524.34	284124.12	849.75	445557.92
9	SARDARSAHAR TI ISHARDAS	.4/4495	3400	1921.5	3400	1914.31	7.19	7.19	540.75	3887.99	297.50	160873.13
10	KAWALANSAR TO DODWANA	.4/4518	3100	1906.5	2645	954.2	952.30	952.30	539.20	513480.16	667.86	360110.11
11	SARDARSAHAR TO DHANI ISHARDAS	.4/2678	3500	1968.75	3300	1616.93	351.82	351.82	547.10	192480.72	288.75	157975.13
				21752.06	35978.00	15608.55	6143.51	6143.51		3315054.80	7710.92	4157140.18

Table No. 2 :

LIST OF ROAD WORK DONE IN KIKASAR GP OF SARDARSAHAR PANCHAYAT SAMITI OF CHURU DISTRICT CHURU																		
SR. NO.	NAME OF ROAD	UNIQE CODE	As per agenda Note of MGNREGA								Estimated depreciation/wear and tear effect due to traffic load and other conditions							
			date of works Completion as per annx.4 (1) of report	date of inspection by team as per inspection report	duration	avrage thickness as per report dated 18.11.10	AS PER MB (Report dated 15.06.2011)		AS PER MEASURED BY ENQ. TEAM (Report dated 15.06 2011)		प्रेवल के क्षरण की मात्रा कुटी हुई मोटाई के आधार पर			Diffrrance	RECOVERABLE QTY	Rate Allowed as per tabel on page no 619 of concerned file	Diff. AMOUNT based on allowed rate@ as per file (record)	
							LENGTH	QTY OF GRAVEL SUPPLY	LENGTH	QNT MEASURED	allowed based on 25 mm per year (16.66%)	Qty as per column no 12	Total Quantity including column 13					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (based on Co 6 duration)	13 =(11*12)	14 (11+13)	15 =(9-14)	16	17	18 =(16*17)	
1	SONPALSAR TO DODWANA	4/4494	31.01.09	05.04.10 to 10.04.10	15 month	0.15m	3900	2193.75	3557	1662.93	20.82%	346.22	2009.15	184.60	184.60	546.70	100919.71	
2	SONPALSAR TO KIKASAR	4/4496	28.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 Month	0.15m	3500	1968.75	2975	1468.12	19.43%	285.26	1753.38	215.37	215.37	546.70	117745.12	
3	KAWAKASAR TO KIKASAR	4/4557	31.07.08	05.04.10 to 10.04.10	21 month	0.15m	3500	1968.75	2995	1223.72	29.15%	356.71	1580.43	388.32	388.32	539.20	209379.78	
4	DHIRASAR TO KARNISAR	4/4610	31.01.09	05.04.10 to 10.04.10	15 month	0.15m	3500	1968.75	3000	1258.03	20.82%	261.92	1519.95	448.80	448.80	539.20	241991.96	
5	KIKAASAR TO KAWALANSAR	4/4519	15.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 month	0.15m	3500	1968.75	3500	1285.72	19.43%	249.82	1535.54	433.21	433.21	539.20	233589.31	
6	KIKAASAR TO DHIRASAR	4/4520	15.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 month	0.15m	3600	2025	3691	1362.87	19.43%	264.81	1627.68	397.32	397.32	539.20	214237.29	
7	KAWALANSAR TO DHIRASAR	4/4558	15.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 month	0.15m	3550	2005.31	3565	1547.34	19.43%	300.65	1847.99	157.32	157.32	539.20	84827.94	
8	KAWALNSAR TO DESAR	4/2622	30.08.09	05.04.10 to 10.04.10	8 month	0.15m	3300	1856.25	3350	1314.38	11.10%	145.90	1460.28	395.97	395.97	524.34	207624.91	
9	SANPALSAR TO ISHARDAS	4/4495	15.06.09	05.04.10 to 10.04.10	10 month	0.15m	3400	1921.5	3400	1914.31	13.88%	265.71	2180.02	-258.52	0.00	540.75	0.00	
10	KAKASAR TO DODWANA	4/4518	30.06.09	05.04.10 to 10.04.10	10 month	0.15m	3100	1906.5	2645	954.2	13.88%	132.44	1086.64	819.86	819.86	539.20	442066.92	
11	SONPALSAR TO ISHARDAS	4/2678	30.08.09	05.04.10 to 10.04.10	8 month	0.15m	3500	1968.75	3300	1616.93	11.10%	179.48	1796.41	172.34	172.34	547.10	94287.64	
								21752.06	35978.00	15608.55		2788.91	18397.46	3354.60	3613.12		1946670.59	

नोट :- जाँच के दौरान पाया गया मात्रा में बिना कुटी प्रेवल हेतु 4/3 अनुपातिक मात्रा अनुमत करने बाबत अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरु की तकनीकी राय के कम में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी राय के अनुसार ही अंतिम निर्णय लिया जावे।



Table No. 3 :

SR. NO.	NAME OF ROAD	UNIQUE CODE	date of works completed as per annex.4 (1) of report	As per agenda Note of MGNREGA		average thickness as per report dated 18.11.10	AS PER MB (Report dated 15.06.2011)		AS PER MEASURED BY ENQ. TEAM (Report dated 15.06.2011)		Estimated depreciation/wear and tear effect due to traffic load and other conditions			Rate Allowed as per table on page no 619 of concerned file	Diff. AMOUNT based on allowed rate@ as per file (record)		
				date of inspection by team as per report.	duration		LENGTH	QTY OF GRAVEL SUPPLY	LENGTH	QNT MEASURED	maximum % allowed based on 5% for 1st 12 month thereafter 10% per year	Qty as per column no 12	Total Quantity including column 13			Diffrence	RECOVERABLE QTY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (based on Co.6 duration)	13 = (11*12)	14 (11+13)	15 = (9-14)	16	17	18 = (16*17)
1	SONPALSAR TO DODWANA JOHANA	4/4494	31.01.09	05.04.10 to 10.04.10	15 month	0.15m	3900	2193.75	3557	1662.93	7.50%	124.72	1787.65	406.10	406.10	546.70	222015.01
2	SONPALSAR TO KIKASAR	4/4496	28.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 Month	0.15m	3500	1968.75	2975	1468.12	6.67%	97.92	1566.04	402.71	402.71	546.70	220159.59
3	KAWAKANSAR TO KIKASAR	4/4557	31.07.08	05.04.10 to 10.04.10	21 month	0.15m	3500	1968.75	2995	1223.72	12.50%	152.97	1376.69	592.07	592.07	539.20	319241.45
4	DHIRASAR TO KARNISAR BOHIL	4/4610	31.01.09	05.04.10 to 10.04.10	15 month	0.15m	3500	1968.75	3000	1258.03	7.50%	94.35	1352.38	616.37	616.37	539.20	332345.49
5	KIKASAR TO KAWALANSAL	4/4519	15.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 month	0.15m	3500	1968.75	3500	1285.72	6.67%	85.76	1371.48	597.27	597.27	539.20	322049.32
6	KIKASAR TO DEWAR	4/4520	15.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 month	0.15m	3600	2025	3691	1362.87	6.67%	90.90	1453.77	571.23	571.23	539.20	308005.37
7	KAWALANSAR TO DHIRASAR	4/4558	15.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 month	0.15m	3550	2005.31	3565	1547.34	6.67%	103.21	1650.55	354.76	354.76	539.20	191287.90
8	KAWALANSAR TO DESAR	4/2622	30.08.09	05.04.10 to 10.04.10	8 month	0.15m	3300	1856.25	3350	1314.38	3.33%	43.77	1358.15	498.10	498.10	524.34	261174.35
9	SANPALSAR TO ISHARDAS	4/4495	15.06.09	05.04.10 to 10.04.10	10 month	0.15m	3400	1921.5	3400	1914.31	4.16%	79.64	1993.95	-72.45	0.00	540.75	0.00
10	KAKASAR TO DODWANA	4/4518	30.06.09	05.04.10 to 10.04.10	10 month	0.15m	3100	1906.5	2645	954.2	4.16%	39.69	993.89	912.61	912.61	539.20	492076.77
11	SANPALSAR TO ISHARDAS	4/2678	30.08.09	05.04.10 to 10.04.10	8 month	0.15m	3500	1968.75	3300	1616.93	3.33%	53.84	1670.77	297.98	297.98	547.10	163022.80
								21752.06	35978.00	15608.55		966.77	16575.32	5176.74	5249.18		2831378.03

नोट - जोड़ के दौरान गयी गई मात्रा में बिना कुटी ग्रेवल हेतु 4/3 अनुपातिक मात्रा अनुमत करने बावत अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चूरू को तकनीकी राय के कम से मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी राय के अनुसार ही अंतिम निर्णय लिया जावे।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Table 3)

Table No. 4 : बिना क्षरण अनुमत के

SR. NO.	NAME OF ROAD	UNIQUE CODE	date of works Completed on as per annex.4 (1) of report	date of inspection by team as per inspection report	duration	average thickness as per report dated 18.11.10	AS PER MB (Report dated 15.06.2011)		AS PER MEASURED BY ENQ. TEAM (Report dated 15.06.2011)		allowed based on 25 mm per year (16.66%)	Estimated depreciation/wear and tear effect due to traffic load and other conditions पर		Rate Allowed as per tabel on page no 619 of concerned file	Diffrence	RECOVERAB LE QTY	Diff. AMOUNT based on allowed rate@ as per file (record)
							LENGTH	QTY OF GRAVEL SUPPLY	LENGTH	QNT MEASURED		Qty as per column no 12 including column 13	Total Quantity including column 13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (based on Co.6 duration)	13 = (11*12)	14 (11+13)	15 = (9*14)	16	17	18 = (16*17)
1	SONPALSAR TO DODWANA JHAR	4/4494	31.01.09	05.04.10 to 10.04.10	15 month	0.15m	3900	2193.75	3557	1662.93	0.00%	0.00	1662.93	530.82	530.82	546.70	290199.29
2	SONPALSAR TO KIKASAR	4/4496	28.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 Month	0.15m	3500	1968.75	2975	1468.12	0.00%	0.00	1468.12	500.63	500.63	546.70	273694.42
3	KAWAKANSAR TO KIKASAR	4/4557	31.07.08	05.04.10 to 10.04.10	21 month	0.15m	3500	1968.75	2995	1223.72	0.00%	0.00	1223.72	745.03	745.03	539.20	401720.18
4	DIRHASAR TO KARNISAR ECHH.	4/4610	31.01.09	05.04.10 to 10.04.10	15 month	0.15m	3500	1968.75	3000	1258.03	0.00%	0.00	1258.03	710.72	710.72	539.20	383220.22
5	KIKASAR TO KAWALANSAR	4/4519	15.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 month	0.15m	3500	1968.75	3500	1285.72	0.00%	0.00	1285.72	683.03	683.03	539.20	368289.78
6	KIKASAR TO DHIRASAR	4/4520	15.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 month	0.15m	3600	2025	3691	1362.87	0.00%	0.00	1362.87	662.13	662.13	539.20	357020.50
7	KAWALANSAR TO DHIRASAR	4/4558	15.02.09	05.04.10 to 10.04.10	14 month	0.15m	3550	2005.31	3565	1547.34	0.00%	0.00	1547.34	457.97	457.97	539.20	246937.42
8	KAWALANSAR TO GARAB DESAR	4/2622	30.08.09	05.04.10 to 10.04.10	8 month	0.15m	3300	1856.25	3350	1314.38	0.00%	0.00	1314.38	541.87	541.87	524.34	284124.12
9	SANPALSAR TO ISHARDAS	4/4495	15.06.09	05.04.10 to 10.04.10	10 month	0.15m	3400	1921.5	3400	1914.31	0.00%	0.00	1914.31	7.19	7.19	540.75	0.00
10	KAKASAR TO DODWANA	4/4518	30.06.09	05.04.10 to 10.04.10	10 month	0.15m	3100	1906.5	2645	954.2	0.00%	0.00	954.20	952.30	952.30	539.20	513480.16
11	SONPALSAR TO DIJANI	4/2678	30.08.09	05.04.10 to 10.04.10	8 month	0.15m	3500	1968.75	3300	1616.93	0.00%	0.00	1616.93	351.82	351.82	540.75	192480.72
12	ISHARDAS							21752.06	35978.00	15608.55		0.00	15608.55	6143.51	6136.32		3311166.81

नोट - जाँच के दौरान मापी गई मात्रा में बिना कूटी ग्रेवल हेतु 4/3 अनुपातिक मात्रा अनुमत करने बाबत अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला चुरू की तकनीकी राय के क्रम में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी राय के अनुसार ही अंतिम निर्णय लिया जावे।

Handwritten signatures and initials.